



# सराहनीय कार्य

## इटावा पुलिस



प्रेस नोट दिनांक 19.02.2024

### “साल्वर गैंग का भण्डाफोड”

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी संवर्ग सीधी भर्ती परीक्षा-2023 में साल्वर गैंग के 03 सदस्यों को

इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार,

कब्जे से 07 पुलिस परीक्षा अभ्यर्थी एडमिट कार्ड, 01 प्रश्न पुस्तिका, 02 आधार कार्ड, 01

आधार कार्ड की छायाप्रति, 52,000/- रुपये, 08 फोन-पे डेविट/क्रेडिट हिस्ट्री स्लिप, 01

कूटरचित मार्कशीट छायाप्रति, 01 स्विफ्ट कार तथा 04 मोबाइल फोन किये गये बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में एसओजी/सर्विलांस टीम एवं थाना बढपुरा पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गयी कार्यवाही।

### गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी संवर्ग सीधी भर्ती परीक्षा-2023 की पारदर्शिता बनाए रखने एवं परीक्षा को निष्पक्ष रूप से कराने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 18.02.2024 को थाना बढपुरा पुलिस शाकुन्तलम इंटरनेशनल स्कूल पर डियूटीरत थी, इसी दौरान एसओजी/सर्विलांस टीम शाकुन्तलम इंटरनेशनल पर आयी और अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में एक साल्वर गैंग सक्रिय है जो इसी स्कूल में किसी अभ्यर्थी की जगह बैठकर उसकी परीक्षा देने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस कर्मियों द्वारा मुस्तैदी से निगरानी की जाने लगी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुई कि 03 व्यक्ति पैसों के लेनदेन को लेकर कृष्णानगर पुल के पास आपस में वाद-विवाद कर रहे हैं सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए एसओजी/सर्विलांस टीम एवं थाना बढपुरा पुलिस टीम द्वारा कृष्णा नगर पुल के पास से 03 अभियुक्त लोकेश यादव पुत्र मनोज कुमार, राजदीप पुत्र रणवीर सिंह एवं हरी कुमार गुप्ता पुत्र इन्दल कुमार को समय शाम 06.54 बजे गिरफ्तार किया गया।

### पुलिस पूछताछ:-

गिरफ्तार अभियुक्तों की पुलिस टीम द्वारा तलाशी ली गयी तो उनके कब्जे 07 पुलिस परीक्षा अभ्यर्थी एडमिट कार्ड, एक प्रश्न पुस्तिका, 02 आधार कार्ड, 01 आधार कार्ड की छायाप्रति, 52,000/-

रुपये नकद, 08 फोन-पे डेविट/क्रेडिट हिस्ट्री स्लिप, कूटरचित मार्कशीट छायाप्रति, 01 स्विफ्ट कार तथा 04 मोबाइल फोन बरामद किये गये। गिरफ्तार अभियुक्त राजदीप उपरोक्त से पूछताछ की गयी तो उसके द्वारा बताया गया कि मैं उ0प्र0 पुलिस परीक्षा की सॉल्वर गैंग चलाता हूँ तथा आज भी सॉल्वर हरीकुमार गुप्ता को साथ लेकर अभ्यर्थी लोकेश की द्वितीय पाली की परीक्षा दिलाने लाया था लेकिन मुझे व हरीकुमार गुप्ता को पूरे पैसे नहीं मिले जिस कारण हरीकुमार गुप्ता परीक्षा में नहीं बैठा था। राजदीप ने बताया कि मैं अपने ममेरे बहनोई राज नारायण प्रताप यादव उर्फ जूली पुत्र कमलेश नि0 चमरौली थाना मक्खनपुर जिला फिरोजाबाद के साथ मिलकर यह काम करता हूँ। राजनारायण उर्फ जूली एवं अश्वनी निवासी पटना बिहार साथ मिलकर देशबन्धु कोचिंग सेन्टर जो दिल्ली, आगरा, बिहार में चलाते थे। जूली और मैं 15-20 हजार रुपये प्रति पेपर के हिसाब से सॉल्व करने के लिये पढ़े-लिखे लड़कों की व्यवस्था करते हैं तथा प्रति केन्डीडेट भर्ती कराने के 2-8 लाख रुपये तक लेते हैं। लोकेश यादव द्वारा भी परीक्षा को सॉल्व कराने के उद्देश्य से हमें 3,62,000/- दिये गये थे।

सॉल्वर हरी कुमार गुप्ता ने बताया कि इससे पूर्व भी मेरे द्वारा अन्य अभ्यर्थियों की परीक्षा सॉल्वर के रूप में बैठकर सॉल्व करायी गयी है।

बरामद स्विफ्ट कार को एमवीएक्ट की धारा 207 के अन्तर्गत सीज किया गया।

**नोट:-** अभियुक्तों के पूछताछ के आधार पर राज नारायण प्रताप यादव उर्फ जूली एवं अश्वनी का नाम प्रकाश में आया है जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है।

### गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. लोकेश यादव पुत्र मनोज कुमार नि0 परसउआ थाना जसवन्त नगर इटावा उम्र 24 वर्ष
2. राजदीप पुत्र रणवीर सिंह नि0 नगला धीर थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद उम्र 31 वर्ष
3. हरी कुमार गुप्ता पुत्र इन्दल कुमार नि0 वार्ड न0 13, माधौपुर जिला मधुवनी थाना लोकहा विहार 28 वर्ष।

### पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0स0 10/2024 धारा 419/420/467/468/471 आईपीसी व धारा 4/10 परीक्षा अधिनियम 1982 थाना बड़पुरा जनपद इटावा।

### आपराधिक इतिहास:-

#### राजदीप पुत्र रणवीर सिंह

1. मु0अ0सं0 813/2020 धारा 420/406/467/468/471/506 भादवि थाना कोतवाली जनपद गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 764/2023 धारा 420/406 भादवि थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद।
3. मु0अ0स0 10/2024 धारा 419/420/467/468/471 आईपीसी व धारा 4/10 परीक्षा अधिनियम 1982 थाना बड़पुरा जनपद इटावा।

## बरामदगी-

1. 07 पुलिस परीक्षा अभ्यर्थी एडमिट कार्ड
2. 01 प्रश्न पुस्तिका
3. 02 आधार कार्ड
4. 01 आधार कार्ड की छायाप्रति
5. 52000/- रुपये
6. 08 फोन-पे डेबिट/क्रेडिट हिस्ट्री स्लिप
7. 01. कूटरचित मार्कशीट छायाप्रति
8. 01 स्विफ्ट कार
9. 04 मोबाइल फोन ।

पुलिस टीम –प्रथम टीम:- उ0नि0 जयप्रकाश सिंह प्रभारी एसओजी, उ0नि0 श्री नागेन्द्र चौधरी प्रभारी सर्विलान्स मय टीम ।

द्वितीय टीम:- निरीक्षक श्री गणेश शंकर द्विवेदी, उ0नि0 अरूण कुमार, का0 प्रवीण, का0 जितेन्द्र कुमार ।